61. आय-कर अधिनियम की धारा 158ख के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2001 से रखा जाएगा, अर्थात्:- धारा 158ख का संशोधन ।

'(क) "ब्लाक अवधि" से, उस पूर्ववर्ष के पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों को समाविष्ट करने वाली अवधि अभिप्रेत है, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी या धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा की गई थी और इसके अंतर्गत ऐसी तलाशी के प्रारंभ की तारीख तक या उस पूर्ववर्ष में ऐसी अध्यपेक्षा की तारीख तक, जिसमें उक्त तलाशी ली गई थी या अध्यपेक्षा की गई थी, की अवधि भी है :

परंतु जहां, 1 जून, 2001 से पूर्व तलाशी शुरू की गई है या अध्यपेक्षा की गई है वहां इस खंड के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "छह निर्धारण वर्षों" शब्दों के स्थान पर "दस निर्धारण वर्षों" शब्द रखे गए थे ;'।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 158खचक की उपधारा (1) में, "दो प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "एक सही एक बटा चार प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से, रखे जाएंगे । धारा 158खचक का संशोधन ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 192 में, उपधारा (2ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2001 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 192 का संशोधन।

'(2ग) ऐसा कोई व्यक्ति, जो "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे व्यक्ति को, जिसको ऐसा संदाय किया जाता है, उसको वेतन के बदले में दी गई परिलब्धियों या लाभों और उसके मूल्य की सही और पूर्ण विशिष्टियां देते हुए एक विवरण, ऐसे प्ररूप और रीति से देगा, जो विहित की जाए ।'।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) में, 1 जून, 2001 से ,-- धारा 194क का संशोधन ।

(i) "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक में, "इस खंड के उपबंधों का" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "रख दिए गए हों और" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा ।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 194ख में, "वर्ग पहेली" शब्दों के पश्चात्, "या ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल" शब्द, 1 जून, 2001 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 194ख का संशोधन ।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 194छ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2001 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 194ज का अंतःस्थापन ।

'194ज. कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है, और जो किसी निवासी को कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलाली के रूप में किसी आय का, 1 जून, 2001 को या उसके पश्चात् संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या ऐसी आय का नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा : कमीशन या दलाली ।

परंतु इस धारा के अधीन किसी ऐसे मामले में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जहां वित्तीय वर्ष के दौरान, पाने वाले के खाते में जमा की गई या उसको संदत्त अथवा जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकमों का योग दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "कमीशन या दलाली" के अंतर्गत की गई सेवाओं के लिए (जो वृत्तिक सेवाएं नहीं हैं) या माल के क्रय या विक्रय के अनुक्रम में अथवा किसी आस्ति, मूल्यवान वस्तु या चीज से संबंधित, जो प्रतिभूतियां नहीं हैं, किसी संव्यवहार के संबंध में किन्हीं सेवाओं के लिए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्राप्त या प्राप्य कोई संदाय है ;

(ii) "वृत्तिक सेवा" पद से विधि, चिकित्सा, इंजीनियरी या वास्तुकला, वृत्ति या लेखाकर्म या तकनीकी परामर्शी या आंतरिक सज्जा की वृत्ति या बोर्ड द्वारा धारा 44कक के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित कोई अन्य वृत्ति चलाने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा की गई सेवाएं अभिप्रेत हैं ;

1956 का 42

(iii) "प्रतिभूति" पद का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है ;

(iv) जहां कोई आय, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा किया जाना, पाने वाले के खाते में, ऐसी आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।'।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 196ग में, "बंधपत्र या शेयर" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "बंधपत्र या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 196ग का संशोधन ।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 201 में,-- धारा 201 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "कर की कटौती नहीं करती है" शब्दों के स्थान पर "संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करती है" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 1962 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1क) में,--

(i) "कर की कटौती नहीं करती है" शब्दों के स्थान पर "संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करती है" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 1962 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) "अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ;

69. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (7) में, "दो प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से, रखे जाएंगे । धारा 206ग का संशोधन ।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 220 की उपधारा (2) में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे । धारा 220 का संशोधन।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 230क का, 1 जून, 2001 से, लोप किया जाएगा । धारा 230क का लोप।

धारा 234क का संशोधन ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 234क में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 4 का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1989 से लोप किया गया समझा जाएगा ;

(ख) उपधारा (3) में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ।

धारा 234ख का संशोधन ।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 234ख में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 1989 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण 1**--इस धारा में, "निर्धारित कर" से अभिप्रेत है, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित कुल आय पर या नियमित निर्धारण पर वह कर, जिसमें से ऐसी किसी आय पर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अधीन है और जिसे ऐसी कुल आय की संगणना करने में हिसाब में लिया गया है, अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कटौती की गई या संगृहीत कर की रकम घटा दी जाएगी ।';

(ख) उपधारा (3) में "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ।

धारा 234ग का संशोधन ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 234ग की उपधारा (1) में, 1 जून, 2001 से,--

(i) खंड (क) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) खंड (ख) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 241 का लोप ।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 241 का 1 जून, 2001 से लोप किया जाएगा ।

धारा 244क का संशोधन ।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 244क की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में, "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीन बटा चार प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ।

धारा 251 का संशोधन।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 251 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "अथवा कर निर्धारण को अपास्त कर सकेगा", शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "निर्धारण करने के लिए कार्यवाही करेगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग का, 1 जून, 2001 से लोप किया जाएगा ।

धारा 254 का संशोधन।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2क) में, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2001 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु जहां धारा 253 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में कोई रोक आदेश किया जाता है वहां अपील अधिकरण, ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा :

परंतु यह और कि यदि ऐसी अपील का निपटारा, पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो रोक आदेश उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् रद्द हो जाएगा ।"।

धारा 264 का संशोधन।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 264 की उपधारा (5) में, "पच्चीस रुपए की फीस" शब्दों के स्थान पर, "पांच सौ रुपए की फीस" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ।

धारा 271 का संशोधन।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) में,--

(क) खंड (ii) में, "ऐसी राशि जो ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए एक हजार रुपए से कम नहीं होगी, किंतु पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर "ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए दस हजार रुपए की राशि हो सकेगी" शब्द 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 6 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 7**--जहां किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसने धारा 92ख में परिभाषित अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन कुल आय की संगणना करने में कोई रकम जोड़ी जाती है या अनुज्ञात नहीं की जाती है वहां इस उपधारा के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार जोड़ी गई या अनुज्ञात नहीं की गई रकम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी आय के रूप में है, जिसकी बाबत विशिष्टियां छिपाई गई हैं या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, जब तक कि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता कि ऐसे संव्यवहार में प्रभारित या संदत्त कीमत की संगणना सद्भावपूर्वक और सम्यक् तत्परता से धारा 92ग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और उस धारा में विहित रीति से की गई थी ।"।

धारा 271क का संशोधन ।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 271क में, "ऐसी राशि का संदाय करेगा जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगी किंतु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा" शब्द 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 271कक का अंतःस्थापन ।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 271क के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सूचना और दस्तावेजों को रखने और उसे बनाए रखने में असफलता के लिए शास्ति ।

"271कक. धारा 271 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति धारा 92घ की उपधारा (1) या उपधारा (2) की अपेक्षानुसार कोई सूचना और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, शास्ति के रूप में, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करेगा ।"।

नई धारा 271खक का अंतःस्थापन ।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 271ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

धारा 92ङ के अधीन रिपोर्ट देने में असफलता के लिए शास्ति ।

"271खक. यदि कोई व्यक्ति, धारा 92ङ की अपेक्षानुसार लेखाकार की रिपोर्ट देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति एक लाख रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा ।"।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 271च में, 1 जून, 2001 से,-- धारा 271च का संशोधन ।

(क) "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

85. आय-कर अधिनियम की धारा 271च के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 271छ का अंतःस्थापन ।

"271छ. यदि कोई व्यक्ति, जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, धारा 92घ की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कोई ऐसी सूचना या दस्तावेज देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि शास्ति के रूप में संदाय करेगा ।" धारा 92घ के अधीन सूचना या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति ।

86. आय-कर अधिनियम की धारा 272क में,-- धारा 272क का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "ऐसी राशि का संदाय करेगा जो प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम या असफलता के लिए पांच सौ रुपए से कम नहीं होगी किंतु दस हजार रुपए तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम या असफलता के लिए दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा" शब्द, 1 जून, 2001 से, रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (2) में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2002 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(झ) धारा 192 की उपधारा (2ग) की अपेक्षानुसार विवरण देने में ।"।

87. आय-कर अधिनियम की धारा 272खख की उपधारा (1) में, "उतनी राशि का संदाय करेगा जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा" शब्द, 1 जून, 2001 से, रखे जाएंगे । धारा 272खख का संशोधन ।

88. आय-कर अधिनियम की धारा 273ख में, 1 अप्रैल, 2002 से,-- धारा 273ख का संशोधन ।

(क) "धारा 271क" शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात् ",धारा 271कक" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "धारा 271ख" शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात् ",धारा 271खक" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) "धारा 271च" शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात् ",धारा 271छ" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

89. आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के नियम 68क के उपनियम (3) में, "बारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "नौ प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से, रखे जाएंगे । द्वितीय अनुसूची का संशोधन ।